

संचिका संख्या:- 09/पि0व0 एवं अ0पि0व0 पो0मै0 विमुक्तियादेश-09/2025-396

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक-23/03/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि रू0 87,72,00,000/- (सतासी करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- विमुक्ति की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-10/2023-27, दिनांक-19.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि रू0 87,72,00,000/- (सतासी करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-673 दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।


3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-27 दिनांक-19.03.2026 के द्वारा कुल राशि रू0 87,72,00,000/- (सतासी करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके विरुद्ध कुल राशि रू0 87,72,00,000/- (सतासी करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की निकासी की जा रही है।

4. उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष 277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा-0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-11-2225-03-277-0101 के अधीन विकलनीय होगा।

5. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर DBT/ PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि अंतरित करेंगे। विभागीय आदेश सं0-09/छात्रवृत्ति-03/2019-250, दिनांक-29.07.2024 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित सभी छात्रवृत्ति/मेधावृत्ति योजनाओं, जिसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाता है, की राशि की निकासी एवं व्यय हेतु श्री बाल्मीकि कुमार, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) प्राधिकृत किया गया है।


2

6. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि को DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।
7. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक-07.02.2014), 2011 के नियम-272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of statement showing name of student, name and address of father, class, roll no., scheme name, period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills". वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।
8. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 की राशि DBT के माध्यम से हस्तान्तरित करने हेतु IDBI BANK, PATLIPUTRA COLONY BRANCH पटना में Mukhyamantri BC-EBC Post Matric Chhatravriti Yojana 2023 के नाम से खाता खोला गया है, जिसका खाता संख्या-2039104000034797, IFSC Code-IBKL0002039 है, में राशि की निकासी कर जमा की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0शि0) स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्ययहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्रॉफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।
10. यह स्वीकृत्यादेश, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-03 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।
11. वित्त विभाग के पत्रांक-4792 दिनांक-04.08.2021 द्वारा राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में पार्क नहीं किया जाना है। जिसके अनुपालनार्थ आवंटित राशि यथाशीघ्र लाभुकों के खाते में अंतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है।
12. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पि0व0 एवं अ0पि0व0 पोस्ट मैट्रिक विमुक्तियादेश-09/2025 के टिप्पणी पृष्ठ-34 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
14. इस विमुक्ति आदेश पर संचिका संख्या-09/पि0व0 एवं अ0पि0व0 पोस्ट मैट्रिक विमुक्तियादेश-09/2025 के टिप्पणी पृष्ठ-36 पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :- 09/पि0व0 एवं अ0पि0व0 पो0मै0 विमुक्तियादेश-09/2025-396 पटना, दिनांक-23/03/2026  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 09/पि0व0 एवं अ0पि0व0 पो0मै0 विमुक्तियादेश-09/2025-396 पटना, दिनांक-23/03/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), बिहार/सभी जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0 शि0), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/CFMS/DBT के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,  
वीरचंद पटेल पथ,  
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के अन्तर्गत कुल राशि रु० 87,72,00,000/- (रु० सतासी करोड़ बहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या-673, दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजनान्तर्गत कुल राशि रु० 87,72,00,000/- (रु० सतासी करोड़ बहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-34- छात्रवृत्ति/वजीफा- 0101.34.01- छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-11-2225 -03-277-0101 के अधीन विकलनीय होगा।

4-इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या-673, दिनांक-23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5- इस स्वीकृत राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अलावे वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी किया जा सकेगा।

6-शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि को DBA के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, बिहार कोशागार संहिता (संशोधित, दिनांक-07.02.2014), 2011 के नियम-272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

8-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

(18)

10-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।  
12-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

19/03/2026  
(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 19/03/2026

ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-10/2023- 27

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2026  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-10/2023- 27

पटना, दिनांक- 19/03/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव (व्यय), वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2026  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-10/2023- 27

पटना, दिनांक- 19/03/2026

प्रतिलिपि-सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2026  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-10/2023- 27

पटना, दिनांक- 19/03/2026

प्रतिलिपि- माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/बजट प्रशाखा/आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/2026  
सरकार के अपर सचिव।